UPMZ010048772016

न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4/Special Judge (E.C. Act), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी–(ANURAG PANWAR), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02638

सत्र परीक्षण संख्या–682/2016

उत्तर प्रदेश सरकार ... अभियोजन पक्ष।

बनाम

1– गुलबीर पुत्र करण,
2– शौकिन्द्र पुत्र वेद सिंह,
निवासीगण–ग्राम कादीपुर, थाना–भोपा, जिला–मुजफ्फरनगर।

... अभियुक्तगण।

मु0अ0सं0–505/2015,
धारा–452, 307 भा0द0सं0,
थाना–भोपा, जिला–मुजफ्फरनगर।

निर्णय

1– थाना–भोपा, जिला–मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण गुलबीर शौकिन्द्र व शुभम के विरुद्ध मु0अ0सं0–505/2015, धारा–452, 307 भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित करने पर प्रस्तुत वाद न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं0–1, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 01–06–2016 को न्यायालय सत्र सुपुर्द किया गया तथा सत्र न्यायालय के आदेशानुसार यह सत्र परीक्षण अन्तरण द्वारा प्राप्त होने पर इस न्यायालय द्वारा विचारण प्रारम्भ किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा तेजपाल द्वारा दिनांक 20–08–2015 को थानाहाजा पर इस आशय का मुकदमा दर्ज कराया गया कि ''प्रार्थी कवर पाल पुत्र घसीटा सिंह के घर पर जाकर जान से मारने की नियत से गुलबीर पुत्र कष्णपाल व शौकिन्दर पुत्र वेदसिंह व शुभम पुत्र चरण सिंह आदि ने हमला कर गोली चलाई, जिसमें प्रार्थी व साथ वालों ने जमीन पर लेटकर जान बचाई। इन्हीं लोगों के परिवार वालों ने दिनांक 22–05–2015 की शाम 5:00 बजे लगभग कवर पाल के भतीजे को घर पर आकर हत्या कर दी थी। इस केस में कवरपाल पुत्र घसीटा मुख्य गवाह हैं। प्रार्थी को कल तारीख पर जाना था, जिसमें वे घर पर आकर धमकी दे रहे थे। हमारे मना करने पर इन लोगों ने हम पर गोली बरसानी शुरू कर दी। उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम हुआ और कार्यवाही अमल में लायी गयी, जो तहरीर प्रदर्श क–1 है।

Digitally signed by ANURAG PANWAR
Date: 2026.06.24 16:43:14 IST
Reason: Judgement
Location: A.S.J. Court No.4/Spl. Judge (E.C. Act), Mzn

3– वादी मुकदमा के उपरोक्त तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना–भोपा, जिला–मुजफ्फरनगर में मु0अ0सं0–505 / 2015, धारा–307 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दिनांक 20–08–2015 को अभियुक्तगण गुलबीर, शौकिन्द्र व शुभम के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाकर मूल चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट किता की गयी, जिसका इन्द्राज उसी दिन जी0डी0 प्रदर्श क–6 में किया गया।

4– प्रकरण की विवेचना की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी मुकदमा व गवाहान के बयान अंकित किये तथा विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा–नजरी तैयार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण गुलबीर शौकिन्द्र व शुभम के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा–452, 307 भा0दं0सं0 का अपराध पाते हुये, आरोप–पत्र प्रदर्श क–4 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– दिनांक 04–11–2016 को अभियुक्तगण गुलबीर शौकिन्द्र व शुभम न्यायालय में उपस्थित आये तथा न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध धारा–307 / 34, 452 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा गया।

6– अभियुक्त शुभम की मृत्यु आख्या न्यायालय को प्राप्त होने पर उसके विरूद्ध उक्त वाद की कार्यवाही दिनांक 20–03–2024 को उपशमित की गयी।

7– अभियोजन द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को प्रस्तुत कराया गया हैः–

1	वादी मुकदमा तेजपाल	पी0डब्लू0–1
2	कंवरपाल	पी0डब्लू0–2
3	सेवानिवृत्त निरीक्षक हरिओम शर्मा	पी0डब्लू0–3

8– अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैः–

क्र0	प्रपत्र	प्रदर्श	साक्षी
1	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1
2	शपथ–पत्र	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–2
3	नक्शा–नजरी	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–3
4	आरोप–पत्र	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–3
5	चिक एफ0आई0आर0	प्रदर्श क–5	अभियोजन औपचारिक सत्यता
6	जी0डी0	प्रदर्श क–6	अभियोजन औपचारिक सत्यता

9– अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक एवं घटना को साबित करने के लिये परीक्षित कराये गये पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा तेजपाल ने सशपथ बयान किया कि वह कंवरपाल को जानता है, जो उसके गांव का रहने वाला है। कंवरपाल के भतीजे पिन्कू की हत्या हो गयी थी, जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। पिन्कू की हत्या की रिपोर्ट कंवरपाल ने ही करायी थी। घटना दिनांक 20–08–2015 को कंवरपाल अपने घर पर था तो शाम के समय दिन छिपे के समय कुछ व्यक्तियों ने कंवार के घर आकर जान से मारने की नीयत से फायर किया था, जिससे कंवरपाल ने अपनी जान जमीन पर लेटकर बचायी थी। उसने इस घटना की तहरीर लिखवाकर थाना–भोपा पर दी थी। गवाह ने तहरीर कागज सं0–5क को देखकर कहा कि यह वही तहरीर है, जो उसके बोलने पर लिखी गयी थी। इस पर उसके हस्ताक्षर हैं, शिनाख्त करता है। इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उसने स्वयं किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा था। उसने मुल्जिमान गुलवीर पुत्र कृष्णपाल, शौकेन्द्र पुत्र वेद सिंह, शुभम पुत्र चरण सिंह को गोली चलाते हुए नहीं देखा।

10– पी0डब्लू0–2 कंवरपाल ने सशपथ बयान किया कि यह घटना दिनांक 20–08–2015 को वह अपने घर के अन्दर आराम कर रहा था। शाम को करीब 5 से 05:30 बजे फायरिंग की आवाज पर वह घर से बाहर आया। तब तक उसके मकान पर फायर करने वाले भाग गये थे और उसके बार आने पर आसपास के काफी आदमी आ गये थे। उसने दौरान विवेचना एक शपथ–पत्र पेपर सं0–9/4 व 9/5 को देखकर कहा कि यह वह शपथ–पत्र है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। उसने किसी फायर करने वाले को नहीं देखा था।

11– पी0डब्लू0–3 विवेचक हरिओम शर्मा रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 20–8–2015 को तत्कालीन थाना प्रभारी के आदेश से मुकदमें की विवेचना उसको प्राप्त हुई थी। दिनांक 20–08–2015 को सी०डी० में फर्द व लेखक के बयान नकल चिक, व नकल रपट करने के बाद दर्ज किये गये थे। दिनांक 21–08–2025 को नामजद अभियुक्त शोकेन्द्र की गिरफ्तारी की गई तथा उसी दिन न्यायालय में पेश किया गया था। दिनांक 22–08–2015 को वादी की निशानदेही पर घटनास्थल निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया गया था। नक्शा–नजरी पत्रावली पर पेपर नं0–6 है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, मौके के अनुसार सही है, जिस पर संकेत के चिन्ह अंकित है। इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। नकल पर हस्ताक्षर की शिनाख्त करता है। दौराने विवेचना गिरफ्तारी को शेष अभियुक्तगण गुलवीर व शुभम की तलाश की गई तथा न्यायालय में 82–83 द0प्र0सं0 की कार्यवाही के लिए आवेदन किये

गये। वादी व गवाहान के बयान दर्ज किये गये। दौराने विवेचना दिनांक 22–09–2015 को गुलवीर ने न्यायालय में आत्मसम्पर्ण किया। दिनांक 24–09–2015 को अभियुक्त गलबीर की न्यायालय से जमानत स्वीकार की गयी। दिनांक 17–11–2015 को मुझ विवेचक को अभियुक्त गुलवीर के सलेण्डर व जमानत रोबकार प्राप्त हुए, जो रोजनामचा खास में दर्ज किये गये एवं ग्राम–कादीपुर में अभियुक्त गुलवीर के बयान दर्ज किये गये। दिनांक 20–11–2015 को अभियुक्त शुभम ने न्यायालय में आत्मसम्पर्ण कर दिया। उसी दिन न्यायालय से अनुमति लेकर जिला जेल में अभियुक्त शुभम के बयान दर्ज किये गये। दिनांक 20–11–2015 को ही पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर तीनों नामजद अभियुक्तगण गुलवीर, शोकेन्द्र एवं शुभम के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–452, 307 भा०द०सं० आरोप–पत्र सं0–326/15 न्यायालय को प्रेषित किया गया। पत्रावली पर मौजूदा पेपर सं०–3 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही आरोप–पत्र है, जो उसके हस्तलेख में है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, शिनाख्त करता है। इस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

12– अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जी0डी0 व चिक एफ0आई0आर0 प्रपत्र पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये, जिनकी सत्यता पर अभियुक्तगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी तथा उपरोक्त सभी प्रपत्रों पर अभियुक्तगण द्वारा उनकी औपचारिक सत्यता स्वीकार होने का पृष्ठांकन किया गया।

13– दिनांक 22–09–2025 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण गुलबीर व शौकिन्द्र के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये, जिनमें अभियुक्तगण द्वारा मिथ्या तहरीर दिया जाना, रंजिशन मुकदमा चलाना जाना, स्वयं को निर्दोष बताते हुए, उनके द्वारा कोई अपराध न करने का कथन करते हुए, सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया गया है।

14– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन द्वारा कोई भी विश्वसनीय साक्षी इस मामले में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित होता हो। वास्तव में इस मामले में घटना का कोई भी विश्वसनीय चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, न ही किसी साक्षी द्वारा उनकी शिनाख्त की गयी है। अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, वे पूर्णतया निर्दोष हैं। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

15– सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया कि साक्षीगण को परीक्षित कराकर, उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप को साबित किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार सिद्ध है।

16- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

17- पत्रावली के सम्यक निस्तारण हेतु निम्न अवधार्य प्रश्न निर्धारित किये जाते हैं:-

(1) क्या अभियुक्तगण द्वारा कंवरपाल के मकान पर जाकर उसे जान से मारने की नीयत से फायर किये?

18- उपरोक्त विवाद्यक के निस्तारण हेतु सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा कंवरपाल के मकान पर जाकर उसे जान से मारने की नीयत से फायर किये अथवा नहीं। उपरोक्त के सम्बन्ध में साक्षी पी0डब्लू0-1 का बयान अति महत्वपूर्ण है। पी0डब्लू0-1 द्वारा कथन किया गया कि उसने स्वयं किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा था। उसने मुल्जिमान गुलवीर पुत्र कृष्णपाल, शौकेन्द्र पुत्र वेद सिंह, शुभम पुत्र चरण सिंह को गोली चलाते हुए नहीं देखा। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और उसने अभियुक्तगण को गोली चलाते हुए नहीं देखा। गवाह द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 द0प्र0सं0 से भी इंकार किया और ऐसा कोई बयान न देने का कथन किया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

पी0डब्लू0-2 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि उसने गोली चलाने वाले किसी व्यक्ति को नहीं देखा। वह फायरिंग की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुॅचा था और अभियुक्त घटनास्थल से भाग चुके थे। उपरोक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

तथ्य के उपरोक्त दोनों साक्षीगण द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है तथा अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किया गया है, जिसके कारण अभियोजन द्वारा दोनों तथ्य के साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा से भी घटना का समर्थन करने वाला कोई तथ्य सामने नहीं आया है। तथ्य के दोनों साक्षीगण अनुश्रुति साक्ष्य तथा अविश्वसनीय परीलक्षित होते हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत विवाद्यक सं0-1 अभियोजन के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

19- पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के सम्यक परिशीलन से यह सिद्ध है कि अभियोजन ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत करने में विफल रहा है, जिससे कि घटना में किसी भी प्रकार की सत्यता प्रतीत हो।

20– प्रस्तुत अभियोग में अभियोजन अभियुक्तगण गुलबीर पुत्र करण व शौकिन्द्र पुत्र वेद सिंह के विरूद्ध आरोप को साबित नहीं कर सका है तथा इन परिस्थितियों में अभियुक्तगण गुलबीर पुत्र करण व शौकिन्द्र पुत्र वेद सिंह, निवासीगण–ग्राम कादीपुर, थाना–भोपा, जिला–मुजफ्फरनगर उक्त सत्र परीक्षण सं0–682/2016, मु0अ0सं0–505/2015, अन्तर्गत धारा–452, 307/34 भा0द0सं0, थाना–भोपा, जिला–मुजफ्फरनगर में तय आरोप से अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण गुलबीर पुत्र करण व शौकिन्द्र पुत्र वेद सिंह के विरूद्ध आरोप को साबित नहीं कर सका है तथा इन परिस्थितियों में अभियुक्तगण गुलबीर पुत्र करण व शौकिन्द्र पुत्र वेद सिंह, निवासीगण–ग्राम कादीपुर, थाना–भोपा, जिला–मुजफ्फरनगर उक्त सत्र परीक्षण सं0–682/2016, मु0अ0सं0–505/2015, अन्तर्गत धारा–452, 307/34 भा0द0सं0, थाना–भोपा, जिला–मुजफ्फरनगर में तय आरोप से अभियुक्त दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दोषमुक्त अभियुक्तगण द्वारा धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत मु0 25,000–25,000/ रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो–दो जमानतें अन्दर सप्ताह दाखिल करें। कथित जमानतनामें अग्रिम 6 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अनुराग पंवार)
I.D. UP 2638
दिनांकः 24–06–2026
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
मुजफ्फरनगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(अनुराग पंवार)
I.D. UP 2638
दिनांकः 24–06–2026
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
मुजफ्फरनगर।